न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 67 / 2017 (18 आयुध अधिनियम 1959) (R.C.M.S . no 2017/00077)

नारायणलाल पुत्र भूरालाल जाति जाटव निवासी कौडर तहसील करौली जिला करौली।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली दिनांक 7.3.2017 बाबत निलम्बित करने अनुज्ञापत्र संख्या 71 / 2000

उपस्थितिः—

1. श्री कृष्ण कुमार सिंघल वकील अपीलान्ट।
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर।

निर्णय

दिनांकः 27.9.2019

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के निर्णय दिनांक 7.3.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि आदेश कमांक 3750—88 दिनांक 27.5.2007 के द्वारा गुर्जर आरक्षण आन्दोलन के दौरान जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रों को निलम्बित किया गया था। तदोपरान्त आदेश कमांक न्याय / 2089 दिनांक 13.5.2010 के द्वारा अन्य अनुज्ञापत्रों को बहाल करते हुये अपीलान्ट नारायणलाल के अनुज्ञापत्र सहित 26 शस्त्र अनुज्ञापत्रों को निलम्बित रखा गया था। अपीलान्ट ने पूर्व में उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील दायर की । न्यायालय हाजा (संभागीय आयुक्त भरतपुर) ने अपने गत निर्णय दिनांक 28.2.2011 से पुनः विधिवत सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गई। इस निर्णय की पालना में तहत अदालत द्वारा प्रकरण में पुनः सुनवाई की गई। रिमाण्ड प्रकरण में दौराने सुनवाई जिला पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट कमांक 11587 दिनांक 18.11.2011 जो अपीलान्ट के प्रतिकूल थी और उनके द्वारा अनुज्ञापत्र बहाली के संबध में स्पष्ट आपत्ति जाहिर की गई थी के आधार पर तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 10.1.2012 से अपने पूर्व आदेश दिनांक 13.5.2010 को यथावत रखा। तदोपरान्त रिमाण्ड प्रकरण में हुये निर्णय दिनांक 10.1.2012 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा पुनः अदालत हाजा में अपील प्रस्तुत की गई । न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर ने प्रकरण में दिनांक 20.11.2015 को दूसरी बार निर्णय पारित करते हुये निर्देश दिये कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाये, वर्तमान में कानून एवं शान्ती व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये अपीलान्ट के चरित्र इत्यादि के संबध में पुलिस अधीक्षक से पुनः रिपोर्ट तलब की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाये। दूसरी बार रिमाण्ड हुये प्रकरण में तहत अदालत ने विधिवत सुनवाई करते हुये पुनः जिला पुलिस अधीक्षक करौली से रिपोर्ट क्रमांक 2982 दिनांक 16.5.16 तलब की गई जिसमें शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों के परिपेक्ष्य में निलम्बित शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने में आपत्ति रिपोर्ट प्रेषित की है। जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.3.2017 पारित करते हुये अपने पूर्व आदेश दिनांक 10.1.2012 को यथावत रखा गया है । इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर करौली द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.5.2010 के द्वारा गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा आयोजित आन्दोलन के दौरान जिले में कानून की व्यवस्था की दृष्टि से निलम्बित कर दिया था। तहत अदालत ने आदेश क्रमांक न्याय/2089 दिनांक 13.5.2010 के द्वारा अन्य अनुज्ञापत्रों को बहाल करते हुये अपीलान्ट नारायणलाल के अनुज्ञापत्र सहित 26 शस्त्र अनुज्ञापत्रों को निलम्बित रखा गया था। अपीलान्ट ने पूर्व में उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील दायर की । न्यायालय हाजा (संभागीय आयुक्त भरतपुर) ने अपने गत निर्णय दिनांक 28.2.2011 से पुनः विधिवत सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गई। इस निर्णय की पालना में तहत अदालत द्वारा प्रकरण में पुनः सुनवाई की गई। रिमाण्ड प्रकरण में बिना सुनवाई, बिना किसी आधार के जिला पुलिस अधीक्षक करौली की गलत रिपोर्ट क्रमांक 11587 दिनांक 18.11.2011 के आधार पर तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 10.1.2012 से अपने पूर्व आदेश दिनांक 13.5.2010 को यथावत रखा। तदोपरान्त रिमाण्ड प्रकरण में हुये निर्णय दिनांक 10.1.2012 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा पुनः अदालत हाजा में अपील प्रस्तुत की गई । न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर ने प्रकरण में दिनांक 20.11.2015 को दूसरी बार निर्णय पारित करते हुये निर्देश दिये कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाये, वर्तमान में कानून एवं शान्ती व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये अपीलान्ट के चरित्र इत्यादि के संबध में पुलिस अधीक्षक से पुनः रिपोर्ट तलब की जाये। दूसरी बार भी रिमाण्ड हुये प्रकरण में तहत अदालत ने विधिवत कार्यवाही न करते हुये पुनः जिला पुलिस अधीक्षक करौली से रिपोर्ट क्रमांक 2982 दिनांक 16.5.16 तलब की गई जिसमें बिना किसी ठोस आधार के शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों के परिपेक्ष्य में निलम्बित शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने में आपत्ति रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई न तो काई विधिवत जांच की गई न ही सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.3.2017 पारित करते हुये अपने पूर्व आदेश दिनांक 10.1.2012 को यथावत रखा गया है जो कतई न्याय संगत नहीं है। न्यायालय हाजा के पूर्व दोनों निर्णयों में दिये गये निर्देशों की तहत अदालत द्वारा कतई पालना नहीं की गई है अपीलाधीन आदेश मनमाने तरीके से न्याय के विपरीत एवं बिना किसी ठोस आधार के पारित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया गया है जो काबिले मंसूखी है। केवल जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट को अपीलाधीन आदेश में आधार बनाया गया है जबकि अपीलान्ट के विरूद्ध ऐसा कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है जिससे अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को निलम्बित रखा जा सके। जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 18.11.2011 में जिस मुकदमे का वर्णन किया है वह मुकदमा सन 2003 में झूठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया था वह माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करौली द्वारा दिनांक 12.3.2014 को निर्णत कर अपीलान्ट को दोषमुक्त किया गया है और सन 2003 के पश्चात आज दिनांक तक अपीलान्ट के विरूद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और न ही विचाराधीन है। इस शस्त्र से संबधित कोई प्रकरण अपीलान्ट के खिलाफ विचाराधीन नहीं है। ऐसी स्थिति में जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट गलत तथ्यों के आधार पर तहत अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई है जिसको तहत अदालत द्वारा आधार बनाया गया है। यहकि थाना सदर करौली द्वारा अपील रिपोर्ट में अपीलान्ट का चाल–चलन अच्छा बताया है और शस्त्र को रिलीज किये जाने में अपनी पूर्ण सहमति जाहिर की है। अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र गुर्जर आरक्षण आन्दोलन के तहत निलम्बित किया गया था चूंकि वर्तमान में ऐसा कोई आन्दोलन जिले में विचाराधीन नहीं है इसलिऐ अब अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को बहाल किया जाना न्यायोचित रहता है। अपीलान्ट ने दिनांक 29.12.2009 को ही थाना सदर करौली पर ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान शस्त्र जमा कराया हुआ है जो आज दिनांक तक जमा है। अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के परिवार की जान माल की सुरक्षा हेतु अपीलान्ट को हथियार की आवश्यकता है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया है अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का मौका ही नहीं दिया गया है इसलिये अपीलान्ट को इसकी तत्समय जानकारी नहीं हो सकी थी। दिनांक 18.4.2017 को तहत अदालत में जानकारी करने पर इस आदेश की जानकारी हुई। तत्काल नकल हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 24.4.2017 को नकल प्राप्त हुई। अपीलान्ट वृद्धावस्था एवं टाईफाईड बुखार के कारण समयावधि 30 दिवस में अपील पेश नहीं कर सका । लेकिन तबीयत दुरूस्त होते ही अधिवक्ता से दिनांक 12.5.2017 को संपर्क कर अपील पेश की गई है। अतः जानकारी दिनांक से व मिलने नकल से अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे जिसके लिये पृथक से धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र अपील के साथ संलग्न है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि तहत अदालत का निर्णय विधि सम्मत् नही है। अतः अपील स्वीकार कर तहत अदालत का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

रैस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक द्वारा तहत अदालत जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.7.2016 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह है कि यह प्रकरण श्रीमान अदालत हाजा के समक्ष तीसरी बार प्रस्तुत हुआ है जिसमें अपीलान्ट ने शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल किये जाने की मांग की गई है। आदेश क्रमांक 3750–88 दिनांक 27.5.2007 के द्वारा गुर्जर आरक्षण आन्दोलन के दौरान जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रों को निलम्बित किया गया था। तदोपरान्त आदेश क्रमांक न्याय/2089 दिनांक 13.5.2010 के द्वारा अन्य अनुज्ञापत्रों को बहाल करते हुये अपीलान्ट नारायणलाल के अनुज्ञापत्र सहित 26 शस्त्र अनुज्ञापत्रों को निलम्बित रखा गया था। अपीलान्ट ने पूर्व में उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील दायर की । न्यायालय हाजा (संभागीय आयुक्त भरतपुर) ने अपने गत निर्णय दिनांक 28.2.2011 से पुनः विधिवत सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गई। इस निर्णय की पालना में तहत अदालत द्वारा प्रकरण में पुनः सुनवाई की गई। रिमाण्ड प्रकरण में दौराने सुनवाई जिला पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट क्रमांक 11587 दिनांक 18.11.2011 जो अपीलान्ट के प्रतिकूल थी और उनके द्वारा अनुज्ञापत्र बहाली के संबध में स्पष्ट आपत्ति जाहिर की गई थी के आधार पर तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 10.1.2012 से अपने पूर्व आदेश दिनांक 13.5.2010 को यथावत रखा। तदोपरान्त रिमाण्ड प्रकरण में हुये निर्णय दिनांक 10.1.2012 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा पुनः अदालत हाजा में अपील प्रस्तुत की गई । न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर ने प्रकरण में दिनांक 20.11.2015 को दूसरी बार निर्णय पारित करते हुये निर्देश दिये कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाये, वर्तमान में कानून एवं शान्ती व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये अपीलान्ट के चरित्र इत्यादि के संबध में पुलिस अधीक्षक से पुनः रिपोर्ट तलब की जाये। दूसरी बार रिमाण्ड हुये प्रकरण में तहत अदालत ने विधिवत सुनवाई करते हुये पुनः जिला पुलिस अधीक्षक करौली से रिपोर्ट क्रमांक 2982 दिनांक 16.5.16 तलब की गई जिसमें शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों के परिपेक्ष्य में निलम्बित शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने में आपत्ति रिपोर्ट प्रेषित की है। जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.3.2017 पारित करते हुये अपने पूर्व आदेश दिनांक 10.1.2012 को यथावत रखा गया है । जिला पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट को मध्यनजर रखते हुये तहत अदालत ने आर्म्स एक्ट की धारा 17(3)(बी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निलम्बित रखा गया है । अतः अपील खारिज की जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

> "Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large

would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants''

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–
''Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal''

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। यह प्रकरण अदालत हाजा के समक्ष तीसरी बार पेश हुआ हैं। गत निर्णय में यह निर्देश दिये गये थे कि '' जिस प्रकरण में अपीलान्ट माननीय न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किया गया है उसको दृष्टिगत रखते हुये अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुये अपीलान्ट के चरित्र एवं वर्तमान कानून एवं शान्ति–व्यवस्था के मध्यनजर गुणावगुण के आधर पर निर्णय पारित करें किन्तु अपीलधीन आदेश के अवलोकन से यह जाहिर है कि बाबजूद निर्देश गत रिमाण्ड प्रकरण निर्णय दिनांक 20.11.2012 की मंशा पूर्ति नहीं की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक करौली की रिपोर्ट दिनांक 16.5.2016 का भी अवलोकन किया गया केवल मात्र यह अंकित किया जाना कि आवेदक के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों के परिपेक्ष्य में निलम्बित अनुज्ञापत्र को बहाल करने की अनुशंषा नहीं की जाती है पर्याप्त नहीं है। चूंकि न तो रिपोर्ट में प्रकरण का स्पष्ट हवाला दिया गया है और न ही उसके निर्णय अथवा विचाराधीन होने के तथ्य को स्पष्ट किया गया है और हुबहु अदालत तहत ने भी इसी बात को आधार बनाया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जबकि विस्तृत एवं स्पीकिंग आर्डर पारित करते वक्त यह न्यायोचित रहता है कि जिस तथ्य को निर्णय में आधार बनाया जा रहा है उसकी मीमांशां भलिभांति एवं स्पष्ट हो ताकि निर्णय सारगर्भित एवं तथ्यपरक माना जा सके। यदि तहत अदालत को अपीलान्ट के चरित्र अथवा उस पर दायर मुकदमों के चलते कोई शक–शुवा था या है तो उसे निर्णय में स्पष्ट किया जाना चाहिऐ था। तहत अदालत ने भी इस रिपोर्ट को ही आधार बनाया गया है जबकि गत रिमाण्ड किये गये निर्णय में यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करौली के निर्णय दिनांक 12.3.2014 के परिपेक्ष्य में प्रकरण में पुनः विचार किया जाना है। चूंकि इस प्रकरण में अपीलान्ट को दोषमुक्त किया गया है जो वर्ष 2014 में ही निस्तारित हो चुका था। रिपोर्ट में जिस मुकदमें का गोलमोल जिक्र किया गया है उसे स्पष्ट अंकित किया जाना चाहिऐ था जिससे प्रकरण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके कि क्या प्रकरण में अन्तिम निर्णय पारित किया जा चुका है अथवा अपराध साबित हो गया है। लेकिन न तो स्पष्ट रिपोर्ट जिला पुलिस अधीक्षक से तलब की गई है और न ही अपीलाधीन निर्णय में इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है। किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना एक अलग बात है

और उस मुकदमें में दोषी पाया जाना दूसरी बात है। जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को उस पर लगाये गये अपराध के संदर्भ में दोषी करार न दे दिया जाये तब तक उस व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में यह प्रकरण तहत अदालत जिला मजिस्ट्रेट करौली को अपीलाधीन आदेश स्पीकिंग आर्डर न होने के बजह से इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहता है कि ऐसे क्या कारण व हालात रहे कि एक सक्षम अदालत द्वारा अपीलान्ट को दोषमुक्त किये जाने के उपरान्त भी उसके अनुज्ञापत्र बहाल नहीं किया जा सका ? यदि कोई अन्य कानूनी बिन्दु अवरोध है तो उसे स्पष्ट एवं क्लीयर करते हुये प्रकरण में पुनः निर्णय लिया जाना मुनासिब रहता है।

उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.3.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे आयुध अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में अपीलान्ट के चरित्र, सक्षम अदालत के निर्णय, वर्तमान में कानून एवं शान्ती व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः तार्किक एवं न्याय संगत स्पीकिंग आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 27.9.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official